न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त , अजमेर

(निर्णय बईजलास गजेन्द्र सिंह राठौड़ , आर.ए.एस., अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल0आर0ए0 संख्या 70/2018 जिला भीलवाड़ा

मोहनलाल पुत्र श्री गिरधारी, जाति ब्राहमण, निवासी रेवाड़ा, तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा।

—अपीलांट

बनाम्

1. श्रीमती मांगी पत्नि स्व0 श्री पूनम, जाति हरिजन,(मृतका) निवासी बोरियापुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा जरिये वारिसान :—

—(1) मदन पुत्र स्व0 श्रीमती मांगी जाति हरिजन निवासी बोरियापुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय रायपुर जिला भीलवाड़ा।

—रेस्पोडेंटस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा दिनांक 21.05.2015 जो अपील संख्या 23/2014 बउनवानी श्रीमती मांगीबाई बनाम सरकार मे पारित किया गया।

उपस्थित अभिभाषकः—श्री ए0एस0राठौड़(अपीलांट अभि0)
रेस्पो0 अभिभाषकः— श्री एम0एल0गुर्जर
राजकीय अभिभाषकः—श्री आकाश पारीक

निर्णय दिनांकः—24.11.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट नम्बर 1 मांगीबाई द्वारा रूक्मणी बेवा कालूबलाई से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.04.1994 से आराजी संख्या 120/1 रकबा 6 बीघा भूमि ग्राम रेवाड़ा में क्रय की। जिसका नामातंरण संख्या 612 दिनांक 05.05.1994 द्वारा फैसल होकर भूमि मांगीबाई के नाम दर्ज की गई। उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 312/989 रकबा 0.86 हे0 व आराजी नम्बर 326/990 रकबा 0.44 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.30 हे0 कायम हुये। अपीलांट के अनुसार उक्त भूमि को मांगीबाई द्वारा समर्पण पत्र दिनांक 08.04.2005 से प्रकरण संख्या 107/2005 में तहसीलदार रायपुर के समक्ष समर्पण हेतु प्रस्तुत किया। जिन्होने समर्पणनामें को स्वीकार करते हुए भूमि को सिवायचक दर्ज करने का आदेश दिया गया।

तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्ध मांगीबाई द्वारा 9 वर्ष बाद ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा में अपील संख्या 23/2014 दर्ज करवायी गई तथा यह निवेदन किया कि तहसीलदार के समक्ष उसके द्वारा कोई समर्पणनामा नहीं प्रस्तुत किया गया था। फिर भी भूमि को सिवायचक घोषित कर दिया गया। नामातंरण संख्या 88 दिनांक 17.05.2005 को इस बाबत तस्दीक कर दिया गया है। मांगीबाई के अनुसार जब पड़ौसीयों द्वारा उसे बेदखल करने का प्रयास किया गया तब जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रार्थना करने पर उनके द्वारा तहसीलदार रायपुर से रिपोर्ट प्राप्त की तब फर्जी तरीके से की जानकारी हुई। मांगीबाई के द्वारा ए0डी0एम न्यायालय में समर्पण दिनांक 08.04.2005 निरस्त करने हेतु निवेदन किया। इस पर बाद सुनवाई दिनांक 21.05.2015 ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा द्वारा अपील स्वीकार कर ली गई। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा निम्न आधार पर अपील प्रस्तुत की जा रही है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: Attested

1. ए0डी0एम न्यायालय का निर्णय आदेश 20 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधानों के विपरीत होकर निरस्त योग्य है।

2. अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर 54 वर्ष से कब्जा चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा के समक्ष 88/2004 बउनवानी मोहनलाल बनाम सरकार एवं श्रीमती मांगी वास्ते खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया था। जो उनके द्वारा दिनांक 31.05.2005 को डिक्री किया जाकर अपीलांट को खसरा नम्बर 312/989 रकबा 0.68 हे0 का खातेदार नियुक्त किया है। एक इकरारनामा मांगीबाई और उसके पुत्र मदनलाल द्वारा दिनांक 09.12.2004 को अपीलांट के पक्ष में अपीलांट के कब्जे की सहमति बाबत प्रस्तुत किया हुआ था। इसके बावजूद रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा ए0डी0एम भीलवाड़ा में अपील की जो निरस्त योग्य है।

3. ए0डी0एम न्यायालय ने मुझे पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि मेरा कब्जा है। मांगीबाई द्वारा तथ्य छुपाकर अपील प्रस्तुत की गई है।

4. समर्पणनामा स्वीकार किया जा चुका था तथा उसके आधार पर नामातंरण दर्ज किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज की गयी। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं थी। अपीलांट व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है। अंत में ए0डी0एम0 भीलवाड़ा के निर्णय दिनांक 21.05.2015 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल, प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी, प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये।

अपील के साथ अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रकरण संख्या 88/2004 उपखण्ड अधिकारी गंगापुर निर्णय दिनांक 31.05.2005 प्रस्तुत किये। साथ ही इकरारनामा द्वारा रेस्पो0 नम्बर 1 व 2 बहक अपीलांट दिनांक 09.12.2004 तथा उक्त प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा दिया गया जवाब तथा नामातंरण संख्या 88 दिनांक 17.05.2005 ग्राम रेवाड़ा प्रस्तुत किया।

अपील के न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को नोटिसेज जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से रिकोर्ड तलब किया जाकर प्राप्त किया गया।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के अनुसार अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.05.2015 की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थी को निर्देशित कर दिया गया है। जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। प्राप्त करते ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी जायेगी। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ अपीलांट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रमाणित प्रति हेतु कार्यवाही की जा रही है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 30 रेवन्यु कोर्ट मैन्युअल स्वीकार किया जाता है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.05.2015 की प्रमाणित प्रतिलिपी प्रस्तुतीकरण से छूट प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अन्य प्रार्थना पत्र 96 सीपीसी का अवलोकन किया गया। अपीलांट के अनुसार राजस्व वाद संख्या 88/2004 में प्रार्थी द्वारा मांगीबाई को प्रतिवादी बनाया था जो कि दिनांक 21.05.2005 को प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में डिक्री हुआ था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को व्यथित पक्षकार की श्रेणी में माना जा सकता है। इन्हें अपील करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। दिनांक 11.07.2018 को मांगीबाई द्वारा प्रार्थी को हिदायत दी गई थी कि वह भूमि खाली कर कब्जा उसे प्रदान कर दे क्योकि अब उसके पक्ष में अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पुनः खातेदारी बाबत आदेश दिया गया है। उक्त जानकारी प्राप्त होने पर नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन दिनांक 11.07.2018 को प्रस्तुत कर दिनांक 17.07.2018 को प्रस्तुत कर दी गई है। दिनांक 19.08.2018 को अजमेर आकर अपील तैयार करवा दी गई है अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जायें। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। चूंकि अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा निर्णित प्रकरण में अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलांट को जानकारी नहीं रही होगी। जानकारी दिनांक से अपीलांट द्वारा मियाद अवधि में अपील प्रस्तुत करना पाया जाता है। न्यायालय हाजा में उनके द्वारा दिनांक 30.08.2018 को अपील प्रस्तुत कर दी गई थी। अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। देरी को क्षमा किया जाता है।

न्यायालय कार्यवाही के दौरान वकील अपीलांट द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4,9 सीपीसी सपठित धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि कोरोनाकाल के दौरान मांगीबाई का निधन हो चुका है तथा मांगीबाई के रेस्पो0 नम्बर 2 मदन पुत्र मांगी पत्नि पूनमचन्द निवासी बोरियापुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा एकमात्र मृतक का वारिस है। जिसमें मृतका का राइट टू स्यू सरवाइव करता है। मांगी की मृत्यु की सूचना दिनांक 14.10.2021 को अपीलांट के पुत्र भरतकुमार द्वारा दी गई। प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत हुआ जिसे न्याय हित में अंदर मियाद शुमार किया जायें। यदि न्यायालय अपील को अबेट मानता है तो अबेटमेंट को सैट ए असाइट किया जायें। इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अंत में निवेदन किया कि मृतक का नाम तर्क करके उसके स्थान पर उसके वारिस मदन को कायममुकाम करने के आदेश प्रदान किये जायें। उक्त प्रार्थना पत्र के समर्थन में भरत कुमार पुत्र मोहनलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया तथा उनवान का संशोधित शीर्षक प्रस्तुत करने का आदेश प्रदान किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

बहस में वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया। वकील अपीलांट के अनुसार मांगीबाई द्वारा अपनी भूमि को समर्पित किया गया था। इस हेतु उसके द्वारा दिनांक 07.04.2005 को प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखा गया था। दिनांक 08.04.2005 को तहसीलदार द्वारा निर्णय कर समर्पणनामें को स्वीकार किया गया तथा दिनांक 17.05.2005 को नामातंरण स्वीकृत किया गया था। मांगी ने भूमि रूक्मणी से खरीदना बताया। उक्त भूमि के दो टुकड़े थे। कुल भूमि 6 बीघा थी। एक पर मुझ अपीलांट का कब्जा था। अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अपील में मुझे पक्षकार नहीं बनाया। प्रकरण संख्या 88/2004 उपखण्ड अधिकारी न्यायालय गंगापुर में मेरे द्वारा राजस्व वाद दायर किया गया था। जिसमें मांगी प्रतिवादी नम्बर 3 के रूप मे दर्ज थी। उक्त वाद दिनांक 31.05.2005 को मेरे पक्ष में डिक्री किया गया था तथा खसरा 312/989 रकबा 0.86 हे0 का मुझे खातेदार घोषित किया गया था। डिक्री के बाद मेरे पक्ष में नामातंरण नहीं खोला गया। वकील अपीलांट के अनुसार सैक्शन 58 आरटीएक्ट मे सरेण्डर को निरस्त कराने हेतु वाद लाना पड़ेगा। सरेण्डर की अपील नहीं होती [illegible] एल0आर0एक्ट में डील नहीं होगा टिनैन्सी एक्ट में जाना पड़ेगा। अतिरिक्त जिला कलक्टर [illegible] आदेश बिना क्षेत्राधिकार का है।

बहस में रेस्पो0 अभिभाषक श्री [illegible] [illegible] किया कि अपीलांट ने एडवर्श पजेशन के आधार पर दावे को अपने पक्ष में डिक्री [illegible]वाया। एडवर्ष पजेशन के आधार पर कोई खातेदारी नहीं दी जा सकती है। साथ ही उक्त प्रकरण धारा 42बी आरटीएक्ट से

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रभावित है। मोहनलाल किस प्रकार से व्यथित पक्षकार है। यह आश्चर्य की बात है। अपील मियाद अवधि के बाहर है। डिक्री के बावजूद नामातंरण स्वीकृत नही हुआ है। मूल आदेश की प्रमाणित प्रति इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। वकील रेस्पो0 द्वारा आरआरडी 2000 पेज 26 तथा आरआरडी 1993 पेज 44 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गये।

राजकीय अभिभाषक ने बहस में बताया कि मोहनलाल द्वारा द्वितीय अपील चलने लायक नहीं है। मांगी के द्वारा 10 रूपये के स्टाम्प पर भूमि को सरेण्डर किया गया था। अब वह एस्टोपल के सिद्धांत से प्रभावित है। अब वह पीछे नहीं जा सकती है। मांगी द्वारा मोहनलाल के पक्ष में स्वीकारोक्ति की गई थी। जिसके आधार पर कन्सेन्ट डिक्री जारी की गई थी। मांगी अभी खातेदार नहीं है। समर्पण के बाद अब मांगी को दावा पेश करना होगा। यदि मांगी समर्पण को फर्जी मानती है तो उसे अपराधिक कार्यवाही संस्थित करने हेतु आगे बढ़ना चाहिए था।

रिब्युटल में रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा कोई अपील नहीं की गई है।

बहस बिन्दुओं का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णयों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि मांगीबाई द्वारा क्या भूमि का समर्पण किया गया था। क्या उक्त समर्पण नियमों के अनुरूप था।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 55 में दिया गया है कि किसी पट्टे या इकरारनामें द्वारा आगामी वर्ष में अपने भूमि–क्षेत्र पर अधिपत्य बनाये रहने के लिये पाबन्द आसामी के अतिरिक्त अन्य कोई आसामी जो एक मई को या उसके पहले अपने भूमि–क्षेत्र को, चाहे वह शिकमी–काश्त पर दिया हुआ अथवा बन्धक ग्रस्त हो या नहीं, कब्जा छोड़ते हुए एक लेख पत्र जो अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार द्वारा या म्यूनिसिपल बोर्ड के सभापति द्वारा प्रमाणीकृत हो–के द्वारा समर्पित कर सकता है।

धारा 56(1) में भूमिधारी को नोटिस देने बाबत निर्देश अंकित है। इसके अनुसार धारा 55 के अन्तर्गत कोई भी समर्पण किये जाने से पहले इस प्रकार समर्पण करने वाला आसामी अपने इस आशय की वह समर्पण करेगा। एक रजिस्टर्ड नोटिस अपने भूमिधारी को 1 मई से कम से कम 30 दिन पहले देगा और जब तक की नोटिस भेज नहीं दिया जायें। वह आसामी समर्पण की तारीख से आगामी कृषि वर्ष का लगान अपने भूमि क्षेत्र में अपने भूमि देने का भागी होगा। धारा 58 में समर्पण को रद्द करने के लिये दावा किया जायेगा, यह बताया है तथा धारा 59 में समर्पित भूमि क्षेत्र का कब्जा लेने बाबत व्यवस्था दी गई है। धारा 55 के संबंध में मुख्य न्यायिक दृष्टांत निम्नानुसार है–**गांधीलाल बनाम भूरा** 1979 आरआरटी पेज 73 के अनुसार भूमि का परित्याग तभी माना जायेगा। जब परित्याग तहसीलदार द्वारा प्रमाणित हों तथा कब्जा दे दिया गया है। भूमिधारी को बिना कब्जा दिये परित्याग नहीं हो सकता है। **खुमा बनाम मंदिर पारसनाथ जी** आरआरडी 1983 पेज 539 समर्पण साबित होने के लिये कब्जा संभलाना ही काफी है।

तहसीलदार रायपुर के समक्ष मांगीदेवी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 07.04.2005 को दिया जाना प्रकट होता है। उक्त प्रार्थना पत्र के नीचे [illegible] यह अंकित है कि महोदय प्रार्थीया श्रीमती मांगीदेवी पत्नि पूनमचंद हरिजन निवासी बोरि[illegible] द्वारा प्राप्त समर्पण पत्र आदेशार्थ सेवा में पेश है। समर्पण पत्र का अवलोकन किया गया। इसके अनुसार मांगीदेवी द्वारा सम्पूर्ण भूमि को राज्य सरकार की भूमि पर 10 रूपये के स्टाम्प पर लिखा जाकर समर्पण किया गया है। मगर उक्त समर्पण पत्र पर **कोई दिनांक अंकित नहीं है**। नीचे की ओर मांगीदेवी लिखा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

हुआ है तथा अंगूठे की निशानी है। उक्त समर्पण पत्र को तहसीलदार रायपुर द्वारा स्वीकृत लिखा हुआ है तथा दिनांक 07.04.2005 लिखी हुई है। आरटीए के अध्याय 5 के धारा 56 को देखा गया है। इसमें भूमिधारी को रजिस्टर्ड नोटिस दिया जाना आवश्यक है। वह नोटिस भी एक मई से कम से कम एक माह पहले का होना चाहिए। वर्तमान प्रकरण में समर्पणनामा दिनांक 07.04.2005 का है। जबकि आज्ञापक प्रावधान के अनुसार उक्त समर्पणनामा 1 मई से 1 माह पूर्व का होना चाहिए था। उक्त आज्ञापक प्रावधान की पालना नहीं की गई है। मांगीदेवी द्वारा विवादित भूमि का कब्जा भूमिधारी को संभलाने बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। उक्त सिद्धांत की भी प्रस्तुत समर्पण पत्र में अवहेलना की गई है। गांधीलाल बनाम भूरा 1979 आरआरडी 373 के अनुसार भूमिधारी को बिना कब्जा दिये परित्याग नहीं हो सकता है। **वर्तमान प्रकरण में कब्जा भूमिधारी को सौपें जाने बाबत कोई तथ्य या दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है।** ऐसी स्थिति में आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना समर्पण पत्र की वैधता को नहीं माना जा सकता है। कानून की दृष्टि में ऐसा समर्पण पत्र शून्य है।

वकील अपीलांट के अनुसार ए0डी0एम न्यायालय में अपील मियाद बाहर थी। मगर एक बार जब अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील को अंदर मियाद बाहर मान लिया गया है तो अपीलीय न्यायालय में इस बिन्दु को नहीं देखा जायेगा।

अपीलांट के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 21.05.2015 को जारी किया गया है। मगर निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दिनांक 21.05.2014 अंकित की गई है। जिस वजह से उक्त निर्णय आदेश 20 सीपीसी के आज्ञापक प्रावधान के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अपीलाधीन निर्णय के प्रकरण संख्या 23/2014 की न्यायालय प्रोसिडिंग दिनांक 06.06.2014 से दिनांक 21.05.2015 का अवलोकन किया गया। उक्त निर्णय दिनांक 21.05.2015 को ही किया गया था। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। यह भी सही है कि निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर दिनांक 21.05.2015 की जगह दिनांक 21.05.2014 लिखा हुआ जो टाइप त्रुटि है। उक्त आक्षेप को खारिज किया जाता है।

वकील अपीलांट के अनुसार सरेण्डर की अपील नहीं होगी। उसको टिनैन्सी एक्ट में चाराजोई करनी होगी। ए0डी0एम न्यायालय भीलवाड़ा के आदेश का अवलोकन किया गया। उक्त आदेश में उनके द्वारा नामातंरण संख्या 88 दिनांक 17.05.2005 को खारिज किया है तथा भूमि को पुनः मांगीदेवी के नाम दर्ज करने का आदेश दिया है। अपीलाधीन आदेश से संबंधित अपील का अवलोकन किया गया। उसमें भी मांगीदेवी द्वारा नामातंरण को निरस्त करने हेतु कथन किये है। ऐसी स्थिति में नामातंरण से संबंधित मामलों में जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया गया हों। उसकी प्रथम अपील निश्चित तौर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर/कलक्टर न्यायालय में होगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षेत्राधिकार में रहकर ही कार्य किया गया।

अपील में अपीलांट द्वारा यह बताया गया कि विवादित भूमि पर विगत 54 वर्षों से उसका कब्जा है। यह दस्तावेज से उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। पहले यह रूकमणी के नाम दर्ज थी। जिससे दिनांक 26.04.1994 को मांगीबाई द्वारा क्रय की गई थी। मांगीबाई खातेदार थी। ऐसी अवस्था में अपीलांट का कथन सही नहीं जान पड़ता है। प्रकरण संख्या 88/2004 में अपीलांट मोहनलाल के पक्ष में दिनांक 31.05.2005 को उपखण्ड अधिकारी रायपुर द्वारा डिक्री किया गया था तथा खसरा नम्बर [illegible]/989 रकबा 0.86 हे0 का खातेदार मोहनलाल को घोषित किया गया था। उक्त वाद एडवर्स पजेशन के आधार पर डिक्री किया गया था। एडवर्ष पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है और उक्त डिक्री धारा 42बी आरटीए के प्रावधान से प्रभावित है। इसी वजह से मोहनलाल के पक्ष में नामातंरण नहीं खोला गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि समर्पण पत्र दिनांक 07.04.2015 नियमों के विपरित था। ऐसी अवस्था में उक्त समर्पण पत्र के आधार पर मांगीबाई की भूमि को सिवायचक घोषित किया जाना किसी भी हालत में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा दिया गया निर्णय दिनांक 21.05.2015 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 23/2014 बउनवानी श्रीमती मांगीबाई बनाम सरकार उचित प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। उक्त स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अपील द्वारा अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा अन्तर्गत प्रकरण संख्या 23/2014 बउनवानी श्रीमती मांगीबाई बनाम सरकार निर्णय दिनांक 21.05.2015 में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। उक्त निर्णय यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

यह आदेश आज दिनांक 24.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अजमेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gajendra Singh Rathore
Date: 2023.01.09 16:44:39 IST
Reason: SelfAttested